03/3/2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार लक्ष्मण उपस्थित। मजीद बहस उभय पक्ष पुनः सुनी गयी।

2017/00203

हमने पत्रावली का अवलोकन कर बहस उभय पक्ष पर गहनता से मनन किया। संक्षेप में विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने के विरूद्ध विपक्षीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज० टिनेन्सी एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की ग्राम सुरजपोल मे कृषि आराजी संख्या 397 रकबा 1.07 है., 403/1 रकबा 0.64 है. 404 रकबा 0.08 है., 405 रकबा 0.06 है. कीता 4 कुल रकबा 1.85 है. स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजी पर आने जाने का एक ... लगाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:22:03 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
जिला चित्तौड़गढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मात्र रास्ता प्रार्थी की आराजी संख्या 397
से लगी हुई विपक्षीगण की आराजी नम्बर
398 व 399 एवं 401 है, जो राजस्व रेकार्ड
मे पाल के रूप मे दर्ज है, और इन्ही
आराजीयात से होकर प्रार्थी वर्षो से अपनी
आराजीयात मे आता जाता है व फसल व
मवेशी, बैलगाडी, ट्रेक्टर इत्यादि लाता
ले जाता रहा है, इसके अलावा अन्य कोई
वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के आराजीयात पर आने
जाने के लिए मौजूद नही हैं, लेकिन कुछ
समय पूर्व विपक्षीगण के अधीनस्थ कर्मचारी
प्रार्थी को आये दिन परेशान कर प्रार्थी को
उक्त रास्ते से आने-जाने मे अवरोध उत्पन्न
कर रहे है तथा प्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही
करने की धमकियां दे रहे हैं, जिससे प्रार्थी
अपनी आराजीयात पर आ जा नही पा रहा
हैं व अपनी आराजीयात के उपयोग उपभोग
से वंचित हो गया है।

प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर आने
के लिए विपक्षीगण की आ.नं. 398, 399 व
401 से होकर गुजरना पड़ता है। इसके अलावा
प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर आने-जाने
के लिए अन्य कोई रास्ता नही है, यही रास्ता
कदीमी से चला आ रहा है। परन्तु अब
विपक्षीगण प्रार्थी की आराजीयात पर [illegible] जाने
वाले रास्ते से प्रार्थी के आने-जाने मे
व्यवधान पैदा कर रहे है, जिससे विपक्षीगण
को उचित मुआवजा मानस्वाल सरकार द्वारा
तयशुदा कीमत प्रार्थी [illegible]
रास्ते को रेकार्ड मे अंकन किया जाना [illegible]
होकर आवश्यक है। अत [illegible]
पत्र स्वीकार फरमाया जाकर [illegible]
पर आने जाने हेतु विपक्षीगण [illegible]
399, 401 मे से कीमतन रास्ता रेकार्ड मे कायम
कराया जाने का आदेश फरमावे।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:22:03 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रकरण मे तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध मे मौका की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की ग्राम सुरजपोल प०ह० ऐराल स्थित आ० नं० 397, 403/1, 404, 405 कीता 4 कुल रकबा 1.85 हे० पर पहुंचने के लिए राजकीय भूमि बिलानाम आ० नं० 398 रकबा 0.21 हे० एवं 399 रकबा 0.07 हे० किस्म चाह मे से होकर जाता है, जिसमे रास्ता बना हुआ होकर चालू है। मौके पर प्रस्तावित रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नही होकर निकटतम है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ़ स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम सुरजपोल प० ह० ऐराल स्थित आराजी संख्या 397, 403/1, 404, 405 कीता 4 कुल रकबा 1.85 हे० पर आने-जाने हेतु रास्ता कायम करने बाबत विपक्षीगण की आराजी नं० 398 रकबा 0.21 हे मे से 18×4=72 वर्गमीटर तथा आ० नं० 399 रकबा 0.07 हे० मे से 18×4=72 वर्गमीटर कुल 144 वर्ग-मीटर भूमि की कीमत डी० एल० सी० दर के दो गुना 29828.00 रुपए (उनतीस हजार आठ सौ अठाईस) विपक्षी खातेदार को भुगतान किए जाने पर विपक्षीगण की आराजी 398 रकबा 0.21 हे० मे से 72 वर्गमीटर आ० नं० 399 रकबा 0.07 हे० मे से 72 वर्गमीटर कुल 144 वर्गमीटर को रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है, उक्त भूमि को किस्म रास्ता दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। उक्त राशि 29828.00 रुपए का भुगतान विपक्षीगण को करने हेतु प्रार्थी उक्त राशि का ड्राफ्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के नाम का बनाकर प्रस्तुत करे। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर [illegible] सम्बन्धित तहसीलदार को राजस्व [illegible] मे अमलदरामद हेतु निर्णय [illegible] के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस [illegible] रास्ता [illegible] गया है एवं ड्राफ्ट पालनार्थ [illegible] राज कोष मे जमा होने के पश्चात राजस्व रिकार्ड मे उक्त भूमि को किस्म रास्ता दर्ज कर, प्रस्तावित रास्ते का रेकार्ड मे तरमीम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से कम हो।

सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sunda Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:22:03 IST
Reason: SelfAttested